

# विद्युत वितरण खण्ड

राजिनावल विद्युत वितरण निगम लि०  
राजापुर चित्रकूट

123456789 10 111213

संख्या 1148

दिनांक

07-06-2023

पृष्ठ 1

विद्युत निजी मलकूत कनेक्शन प्रदाय कर्ता हेतु (विनियम)

नाम POOL BIRANJAN जन्म तिथि JHUNDA PAL पता ARCHA BARETHI ब्लॉक PAHADI

आपके आवेदन पर दिनांक 05.06.2023-10082844477 के संदर्भ में आपको सूचित किया जाता है कि आपकी मलकूत के लिए

8 HP HP/KW/KVA/BHP तथा पन्ना बत्ती के लिए सिरीज में 120 वाट की स्वीकृति दिनांक 05.06.2023 को प्रदान कर दी गयी है।

1. स्वीकृत कनेक्शन चार्जज रूपका		114423.00	
2. सीमा		4957.00	
3. सुरक्षा के रूप में (Security) निजी मलकूत रूप	2400.00		पन्ना बत्ती रूप
4. मीटर शुल्क		2921.00	100.00
5. अन्य			0.00
6. कुल योग रूप		124801.00	

7. आपको मलकूत को कनेक्शन देने हेतु रूप का व्यय मार निगम को वहन करना होगा जबकि निगम द्वारा इस मद से रूप की ही स्वीकृति प्रदान की गयी है।

8. आपको कनेक्शन के लिए निगम द्वारा निर्धारित 300 मीटर से अधिक लाइन पडने के कारण रूप का अधिक धन जमा करना होगा जो किती भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जायेगा।

9. मीटर निरीक्षण शुल्क को शासकीय कोष में 0043 विद्युत पर एवं शुल्क व 102 भारतीय विद्युत नियमावली के अन्तर्गत शुल्क के अन्तर्गत रूप 5500 जमा करना होगा।

10. आपको आपके कनेक्शन के लिए स्वयं विद्युत भंडार केंद्र चित्रकूट से अपने वहन द्वारा समान की बुलाई करनी होगी समान बुलाई के साथ स्वयं के व्यय पर लाइन निर्माण कराना होगा।

11. आपको अपना पम्प हाउस बनाने हेतु आवश्यक ईट बालू तथा सिमेंट का प्रबन्ध करना पडता है अतः इसी में से उपयुक्त वस्तुओं की आवश्यक मात्रा आपकी लाइन व कनेक्शन हेतु भी देय होगी।

12. कनेक्शन हेतु लाइन व स्टेशन बनाने में जो मजदूरों की आवश्यकता पडेगी उसे भी आपको प्रबन्ध करना पडेगा।

नोट (1) कंसो 6, 7 तथा 8 के अन्तर्गत आपके द्वारा किए जाने वाले खर्च को आपके इस्टीमेट से कम कर दिया गया है तथा वह शत

(2) सीमेंट बालू तथा गिट्टी की आवश्यकता केवल आखिरी खम्भे तथा ऐंगिल नल पोल तथा स्टेशन के लिए होगी जिनकी मात्रा

प्रति खम्भा सीमेंट 0.6 बोरी बालू 3 घन फीट गिट्टी 6 घन फीट

प्रति स्टेशन सीमेंट 0.3 बोरी बालू 1.5 घन फीट गिट्टी 3 घन फीट

(3) आपके कार्य करने के लिए मजदूरों की जरूरत होगी यदि आपको ऊपर लिखित शर्तें मान्य हों तो आप कृपया किसी दिवस में 10 बजे प्रातः से 12 बजे दोपहर तक दो गवाही सहित इस कार्यालय में पधारकर एग््रीमेंट पर हस्ताक्षर करें।

1 नाम जुडिशियल 100/- रूप का जनरल स्टाम्प तथा 1/- रूप का रसीदी टिकट (Revenue Stamp)

2 ऊपर लिखी राशि जमा करने के पश्चात जमानत व सर्विस लाइन चार्जज के रूपये की रसीद की छायाप्रति। 3. एक फोटो प्रमाणित 4. निवास प्रमाण-पत्र

आपके कनेक्शन को डिजली तनी दी जायेगी जब आपका वायरिंग पूरा होगा और बी०एल०फार्म० और मीटर डिक्लेशन फार्म (मीटर सुधारने के लिए टूजरी वास्तान सहित) अधिशासी/जूनियर इन्जीनियर के अभियन्ता के पास जमा कर दें तथा उनकी रसीद प्राप्त कर लें। यदि आप उपरोक्त शर्तें

इस पत्र के 30 दिनों के बाद पूरा नहीं करते हैं तो समाप्त जायेगा कि आपको कनेक्शन की जरूरत नहीं और प्रकरण शुल्क 100/- रूप भी जब्त हो जायेगा।

पत्रक: प्रतिलिपी- आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सहायक अभियन्ता विद्युत वितरण उपखण्ड/ग्रामीण उपखण्ड
2. खण्ड विकास अधिकारी
3. जिला विकास अधिकारी
4. अनुबन्ध लिपिक वि०वि० खण्ड

अधिसाषी अभियन्ता  
अधिसाषी अभियन्ता